न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 198 / 2022

1 मनोज उर्फ मनेष उम्र 42 साल पुत्र श्री जगदीश जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 विनोद कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति कुमावत निवासी ग्राम गुढ़ा गौड़जी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 सज्जन कुमार पुत्र श्री रामप्रताप जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
3 पवन कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
4 विजय पुत्र रामप्रताप जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.। विकृतचित जरिये भाई सज्जन कुमार
5 रामप्रताप पुत्र श्री सुरजाराम उर्फ सुरजमल जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
6 गुलाब पुत्र रामप्रताप जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
7 रवि पुत्र रामप्रताप जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
8 अनारी देवी पत्नी जगदीश जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
9 कान्ता पुत्री जगदीश जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
10 सरीता देवी पुत्री जगदीश जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
11 मुकेश कुमार पुत्र जगदीश जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

12 राजेश पुत्र जगदीश जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
13 श्रवण पुत्र जगदीश जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
14 मोतीलाल पुत्र सुरजमल उर्फ सुरजा जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
15 देवाराम पुत्र रामेश्वर जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
16 अनिता पुत्री प्रभुदयाल जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
17 मुकेश कुमार पुत्र प्रभुदयाल जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
18 संतरा पत्नी प्रभुदयाल जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
19 सुशीला पुत्री प्रभुदयाल जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
20 सीमा पुत्री प्रभुदयाल जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
21 हेमेन्त कुमार पुत्र प्रभुदयाल जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.। (दौराने वाद विचारण मृत्यु)
22 ग्यारसी पुत्री रामेश्वर जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
23 बीरबल पुत्र मंगतुराम जाति सुनार निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
24 पूर्णमल उर्फ रतनलाल पुत्र मंगतुराम जाति सुनार निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
25 जीताराम पुत्र रामकुमार जाति सुनार निवासी ग्राम गढ़ला तहसील गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनूं राज.।
26 बलबीर सिंह पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी ग्राम गढ़ला तहसील गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनूं राज.।
27 विधाधर पुत्र गुगनराम निवासी ग्राम गढ़ला तहसील गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनूं राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

28 अंजू देवी पत्नी विनोद सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
29 विनोद पुत्र प्रभातीलाल जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
30 बिमला पुत्री रामप्रताप जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
31 भूमि धारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
32 मंजू पत्नी हेमन्त जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
33 निहारिका पुत्री हेमन्त जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.। जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती मंजू पत्नी हेमन्त जाति जांगिड़ निवासी ग्राम टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं दावा उनवानी सज्जन आदि बनाम रामप्रताप आदि दावा बाबत विभाजन घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व प्रतिदावें घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 250/2022
निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2022

उपस्थिति :
1. श्री राजेन्द्र बुडानिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 7/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 250/2022 में पारित निर्णय दिनांक 18.10.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 ने विचारण न्यायालय के समक्ष ग्राम टोडी में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 645, 682, 683, 1367/655, 648 व भूमि हाल खसरा नम्बर 651, 689, 1368/655 व जमीन हाल खसरा नम्बर 1063/620, 1057/620, 1058/620, 620 में स्वयं की खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाद पत्र पेश किया था। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 लगायत 13 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत दावे में जवाब दावा व प्रतिदावा पेश कर विवादित भूमि के बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया था। दावें में सुनवाई के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 30 ने प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 पेश किया था, जो स्वीकार हुआ था। प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 स्वीकार होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 30 द्वारा जवाब दावा व प्रतिदावा प्रस्तुत कर विवादित भूमि के विधिवत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया था। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एक दावा व दो प्रतिदावों की निर्णय व डिक्री है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 22 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा दावें में विवादित भूमि पैतृक कृषि भूमि व संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिक व संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 22 के मध्य दावें में विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। दावें में विचारण के दौरान वादी संख्या 1 सज्जन व वादी संख्या 3 विजय ने दावा विड्रो करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जो विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। वादी संख्या 1 व वादी संख्या 3 द्वारा दावा विड्रो करने के उपरान्त दावें में वादी संख्या 2 पवन एकमात्र वादी रहा था। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी नम्बर 1 व 3 द्वारा दावा विड्रो करने के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरान्त वादी नम्बर 1 व 3 को कानून प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाना जरूरी होने के बावजूद प्रतिवादी पक्षकार नहीं बना कर दावा में अग्रिम विचारण किया गया। दावें में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. पेश किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दावें में विवादित भूमि के आंशिक खसरा की भूमि हाल खसरा नम्बर 651, 689, 1368/655 बाबत वादीगण द्वारा वाद पत्र पेश करना कथित कर प्रार्थना पत्र में तथ्य उल्लेखित किये कि 'उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 651, 689, 1368/655 की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 5 रामप्रताप की स्वअर्जित भूमि है। इस कारण वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता तथा वाद विधि द्वारा वर्जित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 13 के प्रतिदावें के बाबत भी प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में कथन किया गया कि भूमि हाल खसरा नम्बर 651, 689, 1368/655 बाबत अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 8 लगायत 13 को भी कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादीगण 4 लगायत 10 का प्रतिदावा तथा प्रतिवादी संख्या 30 बिमला का प्रतिदावा दिनांक 18.10.2022 को खारिज कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन दावें में वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 18 की पैतृक कृषि भूमि के घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष होने के बावजूद किसी अजनबी व्यक्ति क्रेता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दावे में विवादित भूमि में से आंशिक भूमि विशेष खसरा नम्बर 651, 689, 1368/655 बाबत प्रार्थना पत्र पेश कर वाद कारण का अभाव व वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के तथ्य के आधार पर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर विधि की भुल कारित की है। कानून पैतृक भूमि की घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के दावें में प्रत्येक सह खातेदार को घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के दावें में प्रत्येक सह खातेदार को घोषणा व विधिवत विभाजन करवाने का वाद कारण सह खातेदार द्वारा वाद पत्र पेश करने के रोज वाद कारण कानूनन होता है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा विधि की विवेचना किये बिना निर्णय व डिक्री पारित की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

जो खारिज होने योग्य है। अपीलाधीन दावें में प्रतिवादी संख्या 28 द्वारा केवल भूमि खसरा नम्बर 651, 689, 1368/655 बाबत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. पेश किया गया था जबकि दावें व प्रतिदावों में जमीन खसरा नम्बर 645, 682, 683, 1367, 1655, 648 व जमीन खसरा नम्बर 163/620 खसरा नम्बर 1367/655 खसरा नम्बर 1057/620, 1058/620, 620 बाबत भी घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय आंशिक भूमि बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सम्पूर्ण दावे व दोनों प्रतिदावों को खारिज कर निर्णय व डिक्री पारित की गयी है। जो विचारण न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यकी भूल कारित हुई है इस कारण भी निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 28 (रेस्पोडेन्ट संख्या 1) वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 के संयुक्त परिवार का सदस्य नहीं रहा है और न ही सहदायी रहा है प्रतिवादी संख्या 28 को मुल सह खातेदारों की पैतृक एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की कृषि भूमि बाबत किसी सह खातेदार व सहदायिक को भूमि के विभाजन, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने से वंचित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के हक हिस्से पर बाद निर्णय व डिक्री क्लेम करने का अधिकारी है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के वाद पत्र व प्रतिदावें में विवादित भूमि के बाबत अजनबी केता जिसका कब्जा नहीं है के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर निर्णय व डिक्री पारित की गयी है। इस कारण भी आदेश जैर बहस खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 13 के दावें व प्रतिदावें के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 30 के प्रतिदावें को बिना किसी कानूनी प्रावधान के खारिज कर विधि एवं तथ्य की भूल कारित की है। इस कारण भी निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 झुन्झुनूं के समक्ष विवादित भूमि बाबत हुये राजीनामा व पारिवारिक समझौता बंटवारा को दरकिनार कर बिना तनकी कायम किये निर्णय व डिक्री पारित की है। इस कारण भी आदेश जैर बहस खारिज होने योग्य है। विचारण नयायालय द्वारा अपर जिला न्यायाधीश झुन्झुनूं के न्यायालय में दावें में प्रस्तुत राजीनामा व पारिवारिक समझौता बाबत बाद तनकी कायम कर साक्ष्य व सुनवाई का समूचित अवसर दिया जाकर निर्णय व डिक्री पारित करना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विधि सम्मत होने बावजूद विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर विधि की भुल की है। विचारण न्यायालय द्वारा पैतृक कृषि भूमि व संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायी कृषि भूमि का बिना विधिवत विभाजन हुये प्रतिवादी संख्या 28 (रेस्पोडेन्ट संख्या 1) अजनबी केता को सुना जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गयी है इस कारण भी निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलांट को अपील पेश करने का हक, अधिकार नहीं है क्योंकि प्रतिवादी नम्बर 8/अपीलान्ट केवल अन्य प्रतिवादीगण के खिलाफ प्रतिदावा पेश नहीं कर सकता व वादी के खिलाफ कोई वाद कारण अंकित नहीं किया है तथा प्रतिवादी नम्बर 26 ने कोई अपीलान्ट को कोई धमकी भी नहीं दी है इसलिये वाद कारण भी पैदा नहीं हुआ व अपीलान्ट प्रभावित/पीड़ित पक्षकार नहीं है। अपने प्रतिदावा में दर्ज कृषि भूमि का खातेदार व सहखातेदार भी अपीलान्ट नहीं है ना ही मौके पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है जबकि रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 रामप्रताप ने स्वअर्जित आय से दिनांक 15.02.1971 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रयशुद्धा भूमि खसरा नम्बर 651, 689, 1368/655 की संयुक्त खातेदारी में से रकबा 1.11 हैक्टेयर भूमि का उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी से मुकदमा नम्बर 267/2012 निर्णय दिनांक 26.09.2012 को नियमानुसार विभाजन कर विभाजीत खसरा नम्बर 651, 689, 1368/655 कुल रकबा 1.11 हैक्टेयर भूमि का रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 रामप्रताप अकेले को खातेदार, काश्तकार घोषित करने के पश्चात रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 रामप्रताप ने रकबा 0.23 हैक्टेयर कृषि भूमि अपने पुत्रगण रवि व गुलाब रेस्पोडेन्ट नम्बर 6 व 7 को जरिये पंजीकृत उपहार–पत्र से उपहारस्वरूप दी इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट नंबर 5 लगायत 7 से उक्त भूमि 1.11 है. रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र से क्रय कर खातेदारी, काश्तकारी अधिकार प्राप्त कर अपनी भूमि खसरा नम्बर 3515/651 रकबा 0.9 है. सम्पूर्ण भूमि अपनी धर्मपत्नी सुमन देवी को जरिये रजिस्टर्ड उपहार–पत्र द्वारा उपहारस्वरूप दे दी जिसे उक्त सुमन ने आवासीय में रूपान्तकरण नियमानुसार करवा ली है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 651, 689 में से आवासीय व वाणिज्य में रूपान्तरण करवाने के पश्चात

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उक्त संपूर्ण भूमि रकबा 1.11 हैक्टेयर के वर्तमान खसरा नम्बर 3480/689, 3516/651, 3518/651, 3520/3481, 3517/651, 3519/651, 3521/3481, 3522/681, 1368/655, 3515/651 है मौके पर उक्त संपति में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अपने नाम से बिजली, पानी का कनेक्शन लेकर काबिज चला आ रहा है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कोई हक, अधिकार नहीं है और ना ही उक्त भूमि पर काश्त, कब्जा है अपीलान्ट के पक्ष में स्वत्व व स्वामित्व भी नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 8/अपीलान्ट केवल अन्य प्रतिवादी के खिलाफ प्रतिदावा पेश नहीं कर सकता है तथा वादी के खिलाफ कोई वाद कारण अंकित नहीं किया है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 10 ने दावा व प्रतिदावा में वाद–पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि की उप मद संख्या 3 के बाबत ही पेश किया व शेष भूमि बाबत कोई अनुतोष नहीं चाहा है। इसलिए विचारण न्यायालय ने दावा व प्रतिदावे विधिक रूप से वाद कारण के अभाव व विधि द्वारा अर्जित होने के कारण सही खारिज करने के पश्चात वादी व प्रतिवादी नम्बर 29 ने दावा व प्रतिदावा की अपील नहीं की है। इसलिए अपीलान्ट को वादी व प्रतिवादी नम्बर 29 के दावा व प्रतिदावा खारिज के खिलाफ अपनी अपील में तथ्य दर्ज करने का अधिकार अपीलान्ट को नही है व प्रतिवादी नम्बर 8/अपीलान्ट द्वारा प्रतिदावा अन्य प्रतिवादीगण के खिलाफ विधि विरूद्ध पेश करने के कारण अपीलान्ट को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। इसलिए अपीलान्ट को अपनी अपील के जरिये वाद–पत्र व प्रतिदावें को अपास्त करवाने व अदालत हाज़ा से विचारण न्यायालय के यहां प्रकरण को पुनः सुनवाई के निर्देश के साथ प्रति प्रेषित का आदेश जारी करवाने का अधिकार अपीलान्ट को नहीं होने के कारण से अपील निरस्त होने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 2007 एससी पेज 10 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को अपील पेश करने का हक, अधिकार नहीं है क्योंकि प्रतिवादी नम्बर 8/अपीलान्ट केवल अन्य प्रतिवादीगण के खिलाफ प्रतिदावा पेश नहीं कर सकता व वादी के खिलाफ कोई वाद कारण अपीलांट द्वारा प्रतिदावा में अंकित नहीं किया है। अपने प्रतिदावा में दर्ज कृषि भूमि का खातेदार व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सहखातेदार भी अपीलान्ट नहीं है जबकि रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 रामप्रताप ने स्वअर्जित आय से दिनांक 15.02.1971 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रयशुद्धा भूमि खसरा नम्बर 651, 689, 1368/655 की संयुक्त खातेदारी में से रकबा 1.11 हैक्टेयर भूमि का उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी से मुकदमा नम्बर 267/2012 निर्णय दिनांक 26.09.2012 को नियमानुसार विभाजन कर विभाजीत खसरा नम्बर 651, 689, 1368/655 कुल रकबा 1.11 हैक्टेयर भूमि का रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 रामप्रताप अकेले को खातेदार, काश्तकार घोषित करने के पश्चात रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 रामप्रताप ने रकबा 0.23 हैक्टेयर कृषि भूमि अपने पुत्रगण रवि व गुलाब रेस्पोडेन्ट नम्बर 6 व 7 को जरिये पंजीकृत उपहार–पत्र से उपहारस्वरूप दी इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट नंबर 5 लगायत 7 से उक्त भूमि 1.11 है. रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र से क्रय कर खातेदारी, काश्तकारी अधिकार प्राप्त कर अपनी भूमि खसरा नम्बर 3515/651 रकबा 0.9 है. सम्पूर्ण भूमि अपनी धर्मपत्नी सुमन देवी को जरिये रजिस्टर्ड उपहार–पत्र द्वारा उपहारस्वरूप दे दी जिसे उक्त सुमन ने आवासीय में रूपान्तकरण नियमानुसार करवा ली है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 651, 689 में से आवासीय व वाणिज्य में रूपान्तरण करवाने के पश्चात उक्त संपूर्ण भूमि रकबा 1.11 हैक्टेयर के वर्तमान खसरा नम्बर 3480/689, 3516/651, 3518/651, 3520/3481, 3517/651, 3519/651, 3521/3481, 3522/681, 1368/655, 3515/651 है मौके पर उक्त संपति में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अपने नाम से बिजली, पानी का कनेक्शन लेकर काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी नम्बर 8/अपीलान्ट केवल अन्य प्रतिवादी के खिलाफ प्रतिदावा पेश नहीं कर सकता है तथा वादी के खिलाफ कोई वाद कारण अंकित नहीं किया है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 10 ने दावा व प्रतिदावा में वाद–पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि की उप मद संख्या 3 के बाबत ही पेश किया व शेष भूमि बाबत कोई अनुतोष नहीं चाहा है। इसलिए विचारण न्यायालय ने दावा व प्रतिदावे को विधिक रूप से वाद कारण के अभाव व विधि द्वारा अर्जित होने के कारण सही खारिज किया है। वादी व प्रतिवादी नम्बर 29 ने दावा व प्रतिदावा के विचाराधीन निर्णय को आदिनांक तक चुनौती नहीं दी है। इसलिए अपीलान्ट को वादी व प्रतिवादी नम्बर 29 के दावा व प्रतिदावा खारिज के खिलाफ अपनी अपील में तथ्य दर्ज करने का अधिकार अपीलान्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प उदयपुरवाटी)

को नही है व प्रतिवादी नम्बर 8/अपीलान्ट द्वारा प्रतिदावा अन्य प्रतिवादीगण के खिलाफ विधि विरूद्ध पेश करने के कारण अपीलान्ट को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करनां हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर